कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दमोह (म.प्र.)

क्रमांक : 4074 /प्र.अ.कले./2026 दमोह, दिनांक : 19/09/2026

::आदेश::

दिनांक 19/09/2026 को होटल **रॉयल दमयंती पैलेस, दमोह** में केटरिंग कार्य के दौरान गैस सिलेंडर से हुई दुर्घटना में व्यक्तियों के झुलसने/हताहत होने की घटना संज्ञान में आई है। घटना की परिस्थितियों, कारणों, सुरक्षा व्यवस्थाओं में संभावित कमी तथा उत्तरदायित्व का तथ्यात्मक परीक्षण किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त घटना की विस्तृत, निष्पक्ष एवं तकनीकी जाँच हेतु निम्नानुसार जाँच दल गठित किया जाता है :-

जाँच दल

1. **अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दमोह**
2. **नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, दमोह**
3. **मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद दमोह**
4. **जिला आपूर्ति अधिकारी, दमोह**

जांच दल निम्नलिखित बिंदुओं पर जाँच पूर्ण कर 03 दिवस में संयुक्त हस्ताक्षर से जॉच प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दमोह को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगा।

1- अग्नि दुर्घटना का कारण ?
2- क्या अग्नि दुर्घटना से सचेत करने हेतु फायर अलार्म व आपात स्थिति मौके पर पाये गये ?
3- क्या विल्डिंग निर्माण के पूर्व फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त किया गया ?
4- क्या आयोजकों द्वारा आवश्यक सावधानियां रखी गई थी ?
5- अन्य कोई बिंदु जो जांच में पाया गया हो ?
(कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दमोह द्वारा आदेशित)

अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला दमोह (म.प्र.)

क्रमांक : 4074 /प्र.अ.कले./2026 दमोह, दिनांक : 19/09/2026

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय संभाग सागर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला दमोह — आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी रा० जिला दमोह की ओर पालनार्थ।
4. नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, दमोह की ओर पालनार्थ।
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, दमोह — जिला दमोह की ओर पालनार्थ।
6. जिला आपूर्ति अधिकारी, दमोह — जिला दमोह की ओर पालनार्थ।

अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला दमोह (म.प्र.)